## भारत सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग

ट्रांबे, मुंबई-400 085

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

# निविदा सूचना सं. BARC/TDD/ET/2/2025-2026

दिनांकित 03/11/2025

# ।. निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085 द्वारा निम्निलिखत कार्यों हेतु उन पात्र ठेकेदारों से दो भागों अर्थात कवर-1' तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं कवर-2 'ख'- वित्तीय बोली में ई-निविदाकरण के माध्यम से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

:\	<del></del>		<del></del>
i)	कार्य का नाम	:	फिल्टर परीक्षण सुविधा आरएसएमएस, भापअ
			केंद्र, ट्रांबे, मुंबई के इंजीनियरिंग हॉल, का संवर्धन
			कार्य।
ii)	कार्यस्थल (एस) पिन /	:	आरएसएमएस, डब्ल्यूआईपी, सीडीसीएफटी
	कोड (एस)		
iii)	कार्य/उत्पाद श्रेणी	:	कार्य
iv)	निविदा आमंत्रण	:	मुख्य अभियंता
	प्राधिकारी		
V	आमंत्रित अधिकारी	:	प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग
	का पता		
vi)	अनुमानित लागत	:	रु. 36,12,265.00/-+ यथालागू जीएसटी
	(जीएसटी के बिना)		•
	,		
vii)	बयाना राशि	:	₹. 85,250.00/-
viii)	निविदा दस्तावेज़ की		0
	लागत		
ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	:	शून्य
x)	कार्य की अवधि	:	मानसून अवधि सहित ३०३ (तीन सौ तीन)
			कैलेंडर दिवस
xi)	बोली दस्तावेज़ों के	:	https://eprocure.gov.in/eprocure/app वेबसाइट
	डाउनलोड करने के		से दिनांक 14/11/2025 (11:00 बजे) से
	लिए प्रारंभ/अंतिम		08/12/2025 (15:00 बजे) तक डाउनलोड की
	तारीख		जा सकती है और विस्तृत एनआईटी केवल देखने
			के लिए वेबसाइट www.barc.gov.in पर उपलब्ध
			है।
xii)	स्पष्टीकरण की प्रारंभ	:	दिनांक 14/11/2025 (11:00 बजे)

	तारीख		
xiii)	स्पष्टीकरण की अंतिम	•	दिनांक 18/11/2025 (15:00 बजे)
	तारीख		
xiv)	साइट विजिट) की	:	दिनांक 19/11/2025 (11:00 बजे) तक या
	तारीख तथा समय		उससे पूर्व
xv)	बोलीपूर्व बैठक की	:	दिनांक 19/11/2025 <b>(</b> 11: <b>00 ब</b> जे)
	तारीख तथा समय		
xvi)	बोली-पूर्व बैठक का	:	अध्यक्ष, टीडीडी का कार्यालय, नाभिकीय पुनर्चक्रण
	पता		वर्ग, डब्ल्यूआईपी कांप्लेक्स, भाभा परमाणु
			अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई 400 085
xvii)	बोली प्रस्तुत करने के	•	दिनांक 14/11/2025 (11:00 बजे)
	प्रारंभ की तारीख		
xviii)	बोली प्रस्तुत करने की	•	दिनांक 08/12/2025 (15:00 बजे)
	अंतिम तारीख		
xix)	_	:	दिनांक 09/12/2025 <b>(15:00 ब</b> जे) को या इससे
	राशि जमा का		पूर्व ् ं ्
	प्रस्तुतीकरण, भौतिक		बयाना राशि जमा (उपर्युक्त बिंदु xix)नियत
	रूप से बयाना राशि		तारीख एवं समय से पूर्व निम्नलिखित पते पर
	प्रपत्र के जमा करने		प्रस्तुत/प्राप्त की जाएगी:
	का पता।		अध्यक्ष, टीडीडी का कार्यालय, नाभिकीय पुनर्चक्रण
			वर्ग, डब्ल्यूआईपी कांप्लेक्स, भाभा परमाणु
			अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई ४०० ०८५ ।
			नोटः मूल दस्तावेज़ वरीयतः व्यक्तिगत रूप से
			प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तथापि, डाक या
			कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेज़ों पर भी विचार
			किया जाएगा बशर्ते कि वे नियत तिथि और
			समय के भीतर प्राप्त हो जाएं।
xx)	बोली खोलने की	:	दिनांक 10/12/2025 <b>(11:00</b> बजे)
	तारीख/ ऑनलाइन		,
	भाग क खोलने की		
	तारीख एवं समय		
xxi)	बोली खोलने का	:	अध्यक्ष, टीडीडी का कार्यालय, नाभिकीय पुनर्चक्रण
	स्थान		वर्ग, डब्ल्यूआईपी कांप्लेक्स, भाभा परमाणु
			अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई 400 085
xxii)	निविदाकर्ता वर्ग	:	निविदा दस्तावेज़ के अनुसार
xxiii)	योग्य बोलीकर्ताओं	:	शुद्धिपत्र के माध्यम से नीचे दिए गए वेबसाइट पर
	की वित्तीय बोली		बाद की तारीख् में अधिसूचित किया जाएगा
	भाग-ख खोलने की		(तारीख हेतु सीपीपीपी वेबसाइट
	तारीख		https://eprocure.gov.in/eprocure/app देखें।)
xxiv)	निविदा की वैधता	:	180 (एक सौ अस्सी)
	(दिनों तक)		

### ॥. आरंभिक पात्रता मानदंड:

- 2. i) बोलीकर्ता उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 (समय-समय पर संशोधित) के अनुरूप होगा। इसके अलावा, बोली लगाने वाले को विषय निविदा में प्रस्तावित % स्थानीय सामग्री के लिए (अनुलग्नक- 4 का संदर्भ लें) बोली के साथ वचनबद्धता भी जमा करनी होगी।
  - ii) 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-IIII स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाए। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोलीपूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता स्वयं को 'क्लास-IIII स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोलीपूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-IIII स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टानुसार ऐसे मामलों में वर्क्स के प्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-III स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निवेदा में भाग लेने की अनुमित नहीं दी जाएगी।

## iii) बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

- (क) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम रु 17.05 **लाख** के बैंकऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- (ख) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम रु 42.62 **लाख** होना चाहिए । यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित होना चाहिए और साथ ही पेशेवर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पास विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) होना चाहिए।
- (ग) **31 मार्च 2024** को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (कर के पश्चात लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए। किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस पात्रता का प्रमाण माना जाएगा।
- (घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है ।
- (च) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।
- (छ) स्थायी खाता सं (पेन) ।
- 3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक रु 17.05 **लाख** के लागत के समरूप 03 (तीन) कार्य या कम से कम रु 25.57 लाख के लागत के समरूप के 02 (दो) कार्य या कम से कम रु 34.10 लाख के लागत के समरूप 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर

आधारित) पूरा किया हो। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/ केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए हों, तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा । प्रस्तुत किए गए विवरण/अभिलेखों से समरूप कार्य के लिए ग्राहक से बोली कर्ता को भुगतान की पुष्टि हो।

इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें नि:शुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। समरूप कार्य का तात्पर्य " सामान्य सिविल निर्माण कार्य।" समरूप कार्यों को भारत में निष्पादित किया जाना चाहिए।

- 4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निवेदाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा ।
- 5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता की गणना हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी।

बोली क्षमता = [ A x N x 2] - B जहां,

A =िपछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का अधिकतम मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा ।

N = जिस कार्ये के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्या।

B =विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अविध के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य ।

बोली क्षमता की गणना बोलीकर्ता द्वारा समर्थक डेटा के साथ किया जाएगा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा मूल्यांकन के दौरान काम पूरा होने/कार्य प्रदान के कारण उपरोक्त बोली क्षमता में परिवर्तन की सूचना भी बोलीकर्ताओं द्वारा दी जाएगी।

6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए।

## ॥. सूचना :

7. निविदा दस्तावेज़ दो भागों में अर्थात भाग 'क' निविदा दस्तावेज़ दो भागों में अर्थात भाग 'क' (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में : खंड I- सूचना ई-टेंडर आमंत्रित (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, के मार्गदर्शन केलिए समझौते के द्वितीय प्रपत्र और सामान्य नियम और निर्देश, खंड III-अनुबंध की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV-निविदाकारों के लिएविशेष निर्देष, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI-निविदा चित्र की सूची, खंड VII—अनुसूची ए (विभाग द्वारा पूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुसूची), परिशिष्ट 'बी'-प्रदर्शन सुरक्षा केलिए बीजी बॉन्ड का रूप, परिशिष्ट 'C'- सुरिक्षत अग्रिम केलिए इंडेंट्योर (सिविल निर्माण कार्य के लिए लागू), परिशिष्ट 'डी— वॉटरपूर्िंग कार्यों के लिए गारंटी बांड (सिविल कार्यों के लिए लागू), परिशिष्ट 'ई' –दीमक विरोधी उपचार के लिए गारंटी बोंड (सिविल कार्यों के लिए लागू), अनुलग्नक 'ए'— जनशक्ति और मशीनरी का विवरण, निविदा दस्तावेज़ों के सभी शुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माण

सामग्री के अनुमोदित निर्माता की सूची (सिविल कार्यों के लिए लागू) और अनुसूचियों 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा शामिल है। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'बी'- मात्राओं की अनुसूची शामिल है। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज़ अनुबंध का हिस्सा होंगे। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज़ अनुबंध का हिस्सा होंगे।

निविदा दस्तावेज़ों की www.barc.gov.in से प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्य जन उक्त दस्तावेज़ों को वेबसाइट •Tenders and NITs•Other Information पर नि:शुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बोलीकर्ता को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा दस्तावेज़ों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज़ ही मिल सकता है।

## III. सीपीपी वेबसाइट मे ई -निविदाकरण के लिए दिशा-निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Calss III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज़ केवल सीपीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।

सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है : https://eprocure.gov.in/eprocure/app

### 8. पंजीकरण:

- i. बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर "**ऑनलाइन बोलीकर्ता नामांकन"** लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल (यूआरएल:https://eprocure.gov.in/eprocure/app) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। जो कि निःशुल्क है।
- ii. नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट उपयोग कर्तानाम चुनना होगा और उनके खातों केलिए एक पासवर्ड असाइन करना होगा ।
- iii. बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संप्रेषण हेतु किया जाएगा।
- iv. नामांकन के बाद, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे कि sify/nCode/eMudhra आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण न प्राधिकरण द्वाराजारी अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ तृतीय श्रेणी के प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी ।
- v. एक बोली दाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी/टोकन पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार नहीं दें, जिससे दुरुपयोग हो सकता है ।
- vi. बोलीकर्ता तब साइट पर सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करें ।

### 9. निविदा दस्तावेज़ों की खोज:

- i. विविध मानक के अनुसार से निविदा की खोज में बोली कर्ता की सहायता केलिए सीपीपी पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इस मानक में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य इत्यादि शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तारीख अन्य की-बोर्ड इत्यादि का उपयोग करते हुए सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।
- ii. जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुची है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज़ निविदा समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदा को संबंधित 'My Tenders' नाम के फोल्डर में संचियत किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज़ में शुद्धीपत्र जारी किए जाने की स्थित में सीपीपी पोटल की ओर से एसएमएस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।
- iii. बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर ले ताकि हेल्प डेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।

### 10. बोलियों की तैयारी :

- i. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के सबंधं में प्रकाशित शुद्धीपत्र मे उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।
- ii. कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावजों कों समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें। कृपया बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत कर ने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज़ का नाम एवं विषय वस्तुसहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर ले। उक्तबिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज़/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का प्रकट नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- iii. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़/समय सारणी में यथा वर्णित, प्रस्तुत किए जाने वाले निविदा दस्तावेज़ पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यत: ये दस्तावेज़ PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फोर्मेट में हो सकते हे। बोलीनिविदा दस्तावेज़ ब्लैक एडं व्हाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कॅन कर लिए जाए ताकि स्कैन किए गए दज्ञतावेज का साइज कम हो सके।
- iv. प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेज़ों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगनेवाले समय एव मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (उदाहरणार्थ पैनकार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादि) को एक बारगी अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ता के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसै दस्तावेज़ों को अपलोड करने केलिए बोलीकर्ता उन्हें उपलब्ध कराए गए "My Space" या "Other Important Documents" जैसे एरिया का उपयोग कर सकते है। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "MySpace" एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रक्रिया में कम समय लगेगा।

टिप्पणी: My Documents"यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ता को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए है, तो इससे यह बात स्वत: सुनिश्चित नहीं हो जाती की ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके है ।

## 11. बोलियों की प्रस्तुति :

- i. बोलियां सीपीपी वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- ii. बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सके। अन्य कारण से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।
- iii. निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- iv. यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा ।
- v. बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार यथा लागू अनुसार बयाना जमा तैयार करना चाहिए। इसकी मूल प्रति डाक/कुरियर/व्यक्तिगत तौर पर संबंधित कार्मिक को प्रस्तुति की अंतिम तारीख तक अथवा निविदा प्रपत्र के विनिर्देशों के अनुसार जमा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- vi. एजेन्सी को, कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना है और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहरसहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज़ (यदि कोई हो) को उन्हें ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज़ के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- vii. बोलीकर्ता कृपया ध्यान दे कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करे तथा कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज़ सिहत मानक BOQ प्ररूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना है और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानो (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा BOQ फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- viii. निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज़ अपलोड कर ले ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज़ अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की

कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल है, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा ।

- ix. बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) मानक समय माना जाएगा। बोलीकर्ताओं को बोली जमा करने के दौरान समय का पालन करना चाहिए।
- x. नियत तारीख एवं समय (समय-विस्तार) सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
- xi. डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेज़ों को पी के आई एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनिधकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोलीदस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम द्वारा उत्पन्न समित कुंजी का उपयोग करके समित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असमित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xii. अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलनेवालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।
- xiii. बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अथार्त पोर्टल में "Freeze Bid Submission" क्लिककरने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य संगत विवरण सहित बोली साराशं प्रदर्शित होगा।
- xiv. बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेशपास के रूप में किया जा सकता है।
- xv. इच्छुक बोलीकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुति के अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमत रूप से देखे ताकि वे, शुद्धिपत्र/अनुशेष/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्ययित रहे।
- xvi. निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश, बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दे सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज़ में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण

होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। मदों/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

## 12. बोलीकर्ताओं को सहायता:

- 1. निविदा दस्तावेज़ और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किया जाना चाहिए।
- 2. निविदा दस्तावेज़ और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

### शर्तें :

- 13. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी एक निरीक्षण दल गठित कर सकते हैं जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मुल्यांकन किया जा सके:
  - a) वित्तीय क्षमता अर्थात बैंक ऋण शोधन क्षमता ।
  - b) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
  - c) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि।
  - d) समरूप कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
  - e) बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।
  - f) निविदा दस्तावेज़ के परिशिष्ट डी के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज़ "यदि कोई हो "।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पृष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज़ मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज़ पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज़ अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

- 14. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा ।
  - ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता।
  - बी) पिछले ७ वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप।
  - सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।
  - डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
  - ई) समय एवं गुणवत्ता सजगता ।
  - एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।
  - जी) स्थल नियोजन क्षमता ।
  - एच) कार्य को बैक टू बैक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति ।
- 15. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

- 16. निविदा के कवर-। के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी
- 17. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तथापि, जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।
- 18. भापअ केंद्र/पऊवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकनाः
  - (i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है, तो भापअ केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं की गई है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त ज़ब्त कर ली जाएगी।
  - ) ii(एक बोलीदाता/ठेकेदार को भापअकें/पऊवि में किसी भी खरीद/निविदा में भाग लेने से रोक दिया जाएगा. जैसा कि भापअकें के सक्षम प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है. यदि भापअकें के सक्षम प्राधिकरण को लगता है कि बोलीदाता ने सामान्य वित्तीय नियम नियम 151 और 175 इसके (1) [https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0]; और/या खंड 7.5 और कार्यों की खरीद नियमावली के उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन (ओं) [https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022]; खंड 2.4 और उप-खंड (2) (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली 2022 या इसके संशोधनों [https://doe.gov.in/divisions/manual procurement-consultancy-other-services) के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है। इस संबंध में. भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा ।
  - (iiiii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अविध के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्न प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेगें कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।
- 19. कार्य को पूरा करने की अविध की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन या साइट सुपुर्द किए जाने के पहले दिन से, जो भी बाद में हों से निविदा दस्तावेज़ों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी । कार्य के अधिनिर्णय के दौरान प्रारंभ की तारीख को संशोधित किया जा सकता है जिसे कार्य आदेश में सूचित किया जाएगा।
- 20. निविदा को निविदा के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की अंतिम तिथि से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों तक वैध रखा जाएगा।

- 21. यदि बयाना राशि 'ईएमडी' के मूल दस्तावेज़ की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थिगत माना जाएगा।
- बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक, भापअ केंद्र, ट्रांबे, शाखा आईएफएससी: SBIN0001268 के नाम से जारी किए गए आवधिक जमा रसीद/डिमांड डाफ्ट/बैंकर्स चेक/ पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है । ऐसे मामले में, बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा रु. 20.00 लाख, जो भी कम हो, उक्त निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज़ के परिशिष्ट-'ए' के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसके अलावा. ईएमडी की कागजी प्रति उक्त क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्या लिखी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मूल ईएमडी तथा नि विदा स्वीकृति दस्तावेज़ वरीयत: व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें गेट पर रखे ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि, डाक अथवा क्रियर से प्रेषित दस्तावेज़ों पर भी विचार किया जाएगा बशर्तें वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की वित्तीय बोली को नहीं खोला जाएगा ।
- जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARCद्वारा स्वीकृति पत्र 23. (LOAVENIV) जारी किया जाएगा। LOAप्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को संविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी औरC द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है । ३% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभृतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापिस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल1 बोलीकर्ता की ईएमडी BAद्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडीARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी बोली मुल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी में तकनीकी बोली मुल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
- 24. बोलीकर्ता को अपने संविदा की उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगा, ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (ढाई प्रतिशत) होगी।प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5 % की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के

साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5 % हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आविधक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी । इन्हें लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा ।

- 25. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रिया भी कर सकते हैं।
- 26. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरिक्षत है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
- 27. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफ़ारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफ़ारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी ।
- 28. निविदा स्वीकृत होने पर, ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे ।
- 29. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरिक्षत रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।
- 30. i) . जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा कर-केंद्र, राज्य और अंतर-राज्य ।
  ii) अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जीएसटी रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित) पर लागू अन्य सभी कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।
  - iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।
  - iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।
  - v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएंसटी पर 2% टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्य के @1% की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा।
  - vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे
  - vii ( ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा नियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के

ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मजदूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।

ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में इपीएफ अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

- viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती, ठेकेदार को समय- समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी ।
- 31. यदि कोई निविदाकार वैधता की अविध से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी ।

इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुन: निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

- 32. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा ।
- 33. जिन सफल निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्चें पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तद्नुसार ही कोट किया जाए । पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा ।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युक्तियां/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं तुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुक्सान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा । डीएई/बीएआरसी द्वारासमय-समय पर पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पादन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

## <u>अनुदेश:</u>

- 34. ठेकेदार https://eprocure.gov.in/eprocure/app के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लेखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
- 35. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज़ (एक्सेल/वर्ड फार्मेट) को प्रापणने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर

होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेज़ों तथा ईएमडी/ निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है ।

- 36. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए । उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा। कवर-। खोलने के पश्चात,मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेज़ों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यता प्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का कवर-॥ (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोलीकर्ताओं को कवर-॥ (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित की जाएगी।
- 37. वित्तीय प्रस्ताव/ वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज़ के साथ https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर BOQ\_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BOQ\_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफ़र/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीकर्ता किसी भीतरी के से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 38. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
- 39. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम 'स्काई ब्लू' रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है। टिप्पणी : निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए संभावित एजेंसियों को खुद को संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करनेवाली एजेंसियों की निविदा पर विचार न करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

## 40. योग्य स्रोत देश:

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) का पालन करना होगा। भारत एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के तहत। साथ ही, बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के 'परिशिष्ट- एफ' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। यदि इस तरह की घोषणा या प्रमाण पत्र बोली जमा करने के समय या अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी भी समय गलत या गलत पाया जाता है, तो उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयों के साथ जो भारत के प्रासंगिक कानून के तहत अनुमेय हो सकती हैं।

41. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून, 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्रापण नियमावली के अनुसार इस

# निविदा पर लागू नहीं होती है।

- **42.** मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अविध के भीतर अपलोड करना है :-
  - पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए का विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो ।
  - पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए का वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू. डी. आई. एन.) हो।
  - III) नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
  - IV) निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची ।
  - V) तकनीकी कर्मचारियों की सूची ।
  - VI) प्रमाणपत्र:
    - 1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो ।
    - 2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र ।
    - 3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र ।
    - 4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
    - 5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र ।
  - VII) बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर वचनबद्धता कि "पात्र समानकार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैकटूबैक आधार पर निष्पादित नहीं किए गए हैं।
  - VIII) बोलीकर्ता को भाग ए के खंड II और खंड 11 अनुबंध की सामान्य शर्तें के अनुसार वचनबद्धता ।
  - IX) पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिस के लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र।
  - प्रो चालू कार्यों की सूची दर्शाती है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
  - XI) वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4
  - XII) किसी भी क्लाइंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्न कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए/समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता इस बात की पृष्टि कि है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं किया है।

XIII) इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी: तकनीकी मूल्यांकन के दौरान लापता दस्तावेज़, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करने केलिए कहा जा सकता है।

- 43. बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना आवश्यक है:
  - क) भाग-ए ईएमडी के साथ तकनीकी वाणिज्यिक बोली
  - ख) जनशक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार) (यथा लागू)
  - ग) भाग 'बी' (वित्तीय बोली) (अनुसूची बी)
- 44. ई-बैंक गारंटी (ई-बीजी) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे विरयता दी जाती है।

### टिप्पणियाँ:

- 1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए वेबसाइट <a href="https://eprocure.gov.in/eprocure/">https://eprocure.gov.in/eprocure/</a>
  app पर जा सकती हैं।
  - 2. निविदा दस्तावेजों से संबंधित सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क: 022-69295520, 022-69296710
- 3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
  - 3.1) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787

3.2) email at support-eproc@nic.in

- 4. बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी साथ लाना है)
- **5.** निविदा दस्तावेजों से संबंधित साइट विजिट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी

सेवा में: vilasmp@barc.gov.in प्रतिलिपि: avyadav@barc.gov.in

6. यदि एनआईटी के अंग्रेज़ी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेज़ी पाठ को सही माना जाए।

> मुख्य अभियंता प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

## निविदा स्वीकृति पत्र (कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाएं।)

दिनांक:

प्रति, मुख्य अभियंता प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-४०० ०८५

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति । निविदा संदर्भ सं.::BARC/TDD/2/2025-2026 दिनांकित 03/11/2025

## निविदा/कार्य का नाम :- फिल्टर परीक्षण सुविधा आरएसएमएस, भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई के इंजीनियरिंग हॉल, का संवर्धन कार्य।

प्रिय महोदय,

- 1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) https://eprocure.gov.in/eprocure/app और www.barc.gov.in से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।
- 2. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेज़ों के सभी नियम और शर्तों को पढ़ लिया है जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगे और मैं/हम इसमें शामिल नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।
- 3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।
- 4. मैं/हम एतद्द्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़/दस्तावेज़ों/शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं/करते हैं ।
- 5. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

या

डिबार/ब्लैकलिस्टिंग के मामले अलग से संलग्न हैं ।

6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सिहत अन्य किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा।

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

# (कंपनी के पत्रशीर्ष पर दिया जाए) जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

## आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एबी के अनुसार वचन तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

'अधिनियम'	नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आ के रूप में संदर्भित): न व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में	_ [इकाई का नाम] पैन वश्यक के रूप में निम्नलिखित	घोषणा करता हूं (इसके बाद	
	सके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।	आईटी अधिनियम की धारा 20	6एबी में प्रदान की गई 'निर्दिष्ट	
	ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) <sup>दे</sup> 3–202 <b>4</b> के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखि			
4. यदि रिट	र्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:			
पावती संख	5. मैं/हम, है, एतद्द्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा 206 एबी का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेज़ों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:			
क्र.सं.	वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष)	फाइल करने की तिथि	आयकर रिटर्न आईटीआर पावती संख्या	
1	2022-2023 / (2023-2024)			
2	202 <b>3</b> -202 <b>4</b> / (202 <b>4</b> -202 <b>5</b> )			
6.मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं। उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।				
		की ओर से		

## फर्मों/एजेंसियों द्वारा जीएसटी वचनबद्धता (कंपनी के पत्रशीर्ष पर दिया जाए)

$\sim$			
निविदा	/काय	का	नाम:

$\sim$		
प्रिय	मह	दय.

- 1.कि बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप हैं।
- 2. जीएसटी प्रावधानों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला भापअं केंद्र को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 3. बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट भापअ केंद्र को दे दिए गए जाएंगे ।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

# बोलीदाता द्वारा स्थानीय सामग्री प्रमाणन (कंपनी के पत्रशीर्ष पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:
प्रिय महोदय,
बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर निम्नानुसार वचनबद्ध है : "हम
प्राधिकृत बोलीकर्ता के दिनांकित हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-एफ पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र (बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने.....(बोलीकर्ता का नाम) ......., भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं ।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने अपनी बोली के साथ उक्त प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है. तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा।

मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लगा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर

अनुसूचियों का प्रोफार्मा

अनुसूची 'ए'

ठेकेंदार को जारी की जाने वाली सामग्री की अनुसूची : अलग से अपलोड़ किया जाए

04741	पर्य जारा पर्य जान पासा सामग्रा प	गा पानुसूमा	. जलग त जनलाङ् ।कमा	जाए
क्र.सं.	मद का विवरण	मात्रा	उन आंकड़ों और	जारी करने
			शब्दों में दरें जिन पर	का स्थान
			ठेकेदार से सामग्री ली	
			जाएगी	
1	2	3	4	5

अनुसूची 'बी'

मात्राओं की अनुसूची : अलग से अपलोड़ किया जाए

अनुसूची 'सी': लागू नहीं

ठेकेंदार को किराए पर दिए जाने वाले उपकरण और संयंत्र

क्र.सं.	विवरण	प्रति दिन किराया प्रभार	जारी करने का स्थान
1	2	3	4

अनुसूची 'डी': लागू नहीं

कार्य के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं/दस्तावेज़, यदि कोई हो, के लिए अतिरिक्त अनुसूची।

अनुसूची 'ई'

अनुबंध की सामान्य शर्तों का संदर्भ

कार्य का नाम : फिल्टर परीक्षण सुविधा आरएसएमएस, भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई के इंजीनियरिंग हॉल, का संवर्धन कार्य। स्थान एवं कार्यक्षेत्र

स्थान : एनआरजी,भापअ केंद्र,ट्रांबे, मुंबई, महाराष्ट्र,पिन ४००८५

कार्यक्षेत्र:

कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित सम्मलित है:

छलरचना, इंस्टालेशन: एल्युमीनियम का काम, एमएस शटर, फॉल्स सीलिंग, माइल्ड स्टील ग्रिल, संरचनाएं, टाइल्स लगाना, पेंटिंग, सेनेटरी काम, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, विद्युतीकरण, आदि

(i) कार्य की अनुमानित लागत : रु 36,12,265.00/- + यथालागू

जीएसटी

(ii) बयाना राशि : रु.८५०.००/-(निष्पादन गारंटी प्राप्त

होने के बाद वापस की जाएगी।)

 (iii)
 निष्पादन गारंटी
 : निविदाकृत मूल्य का 3%

 (iv)
 सुरक्षा जमा
 : निविदाकृत मूल्य 2.5%

## अनुसूची 'एफ'

सामान्य नियम एवं निर्देशः निविदा आमंत्रित करने वाले अधिकारीः

मुख्य अभियंता, एनआरजी

निष्पादित किए जाने वाले कार्य की वस्तुओं की मात्रों के लिए अधिकतम प्रतिशत, जिसके बाद दरें खंड 12.2 और 12.3 के अनुसार निर्धारित की जानी हैं, निम्नवत है:

परिभाषाएँ

**2(v) प्रभारी - अभियंता : SO/G** 

2(viii) स्वीकृति प्राधिकारी : मुख्य अभियंता

2(x) सामग्री और श्रम की लागत पर प्रतिशत : 15%

सभी अधिशेष और लाभ को कवर

करने हेतु

2(xi) दरों की मानक अनुसूची : भापअ केंद्र की दर अनुसूची

2(xii) विभाग : भापअ केंद्र

खंड 1

स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से निष्पादन : 15 दिन

गारंटी जमा करने के लिए अनुमेय समय

उपर्युक्त (i) में निष्पादन गारंटी राशि के 0.1% : 15 दिन

प्रति दिन के विलंब शुल्क के साथ अधिकतम स्वीकार्य विस्तार प्रदान की गई अवधि से आगे

खंड 2

खंड 2 के तहत क्षतिपूर्ति निर्धारित करने के लिए : अधीक्षण अभियंता

प्राधिकारी

खंड 2A

क्या खंड २ए लागू होगा : नहीं

खंड 5

कार्य आदेश जारी होने की तारीख के बाद शुरू : 15 दिन अथवा कार्यादेश में आरंभ करने होने की तारीख की गणना के लिए स्वीकृति पत्र की उल्लिखित तिथि जो भी बाद में हो

जारी होने की तारीख से दिनों की संख्या

उल्लेखनीय उपलब्धियों की सारणी

occie.	नाय उपलाब्यया यम सारणा		·
क्र.सं.	वित्तीय प्रगति	अनुमेय समय (प्रारंभ होने	उपलब्धि प्राप्त न करने की स्थिति
		की तिथि से)	में रोके जाने वाली राशि
1	कुल कार्य का 1/8	कुल समय का 1/4	उपलब्धि प्राप्त न करने पर रोके जाने वाली राशि, पूर्ण कार्य कीमत के1%
2	कुल कार्य का 3/8	कुल समय का 1/2	उपलब्धि प्राप्त न करने पर रोके जाने वाली राशि, पूर्ण कार्य कीमत के1%
3	कुल कार्य का 3/4	कुल समय का 3/4	उपलब्धि प्राप्त न करने पर रोके जाने वाली राशि, पूर्ण कार्य कीमत के1%
4	पूर्ण कार्य	पूर्ण कार्य समय	उपलब्धि प्राप्त न करने पर रोके जाने वाली राशि, पूर्ण कार्य कीमत के1%

कार्य निष्पादन हेतु अनुमेय समय

: 303 (तीन सौ तीन ) दिन

निर्णयकर्ता प्राधिकारी:

(i) समय विस्तार : समग्र अनुबंधों के मामले में प्रमुख घटक के अधीक्षण

अभियंता, जैसा भी मामला हो (परियोजना अभियंता

जब उसके द्वारा अनुबंध स्वीकार किया जाता है)

(ii) उपलब्धियों का पुनर्सूची : समग्र अनुबंधों के मामले में प्रमुख घटक के अधीक्षण

अभियंता, जैसा भी मामला हो (परियोजना अभियंता

जब उसके द्वारा अनुबंध स्वीकार किया जाता है)

खंड 6, 6A

लागू खंड- (6 या 6A) : **खंड 6A** 

खंड 7

अंतरिम भुगतान के लिए पात्र : -होने के लिए इस तरह के अंतिम भुगतान के बाद से एकत्र की गई सामग्री, यदि कोई हो, के लिए शुद्ध भुगतान/अग्रिम के समायोजन के साथ सकल कार्य किया जाना है।

### खंड 10A

स्थल प्रयोगशाला में ठेकेदार द्वारा प्रदान किए जाने वाले परीक्षण उपकरणों की सूची।

१ भार एत माप	-	-
ा. मार एप माप		

खंड 10B(ii)

क्या खंड 10बी (ii) लागू होगा

ः नहीं

खंड 10C

श्रम के घटक को कार्य के मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त : किया जाता है

### खंड 10CA

GOTOCA			
क्र.सं	इस खंड के अंतर्गत आने	निकटतम सामग्री जिनके	खंड 10सीए ∗ (₹) के
	वाली सामग्री (10 सीए)	लिए अखिल भारतीय थोक	अंतर्गत आने वाली सभी
		मूल्य सूचकांक का पालन	सामग्रियों का आधार मूल्य
		किया जाना है	
1	सीमेंट	प्लेन सीमेंट कंक्रीट	7300/MT
2	संरचनात्मक अनुभाग	एमएस एंगल, चैनल	46500/MT
3	संरचनात्मक अनुभाग	प्लेटें	43000/MT

## \* रेडी मिक्स कंक्रीट में उपयोग की जाने वाली सीमेंट शामिल है।

नोटः ऊपर दी गई सामग्री का आधार मूल्य खंड 10-सीए के संचालन को विनियमित करने के लिए है। निविदा देने वालों से अनुरोध है कि वे दरों का हवाला देते समय प्रचलित बाजार दरों पर विचार करें।

#### खंड 10CC

GO 1000			
खंड 10सीसी अगले कॉलम में दिखाई गई अवधि से अधिक		365	Days
पूर्ण होने की निर्धारित अवधि वाले अनुबंधों में लागू होगा।			
सिविल का घटक (10 सीए के तहत आने वाली सामग्री को	Xm		%
छोड़कर) /विद्युत निर्माण सामग्री को काम के कुल मूल्य के			
प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।			
श्रम का घटक कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत के रूप में	Y 25		%
व्यक्त किया गया			
पी. ओ. एल. के घटक को कार्य के कुल मूल्य के प्रतिशत	Z		%
के रूप में व्यक्त किया गया			

#### खंड **1**1

कार्य के निष्पादन के लिए पालन किए जाने वाले : **भापअ केंद्र विनिर्देशन** विनिर्देश

### खंड 12

	GO 12			
	12.2 &	111111111111111111111111111111111111111		अधिरचना वस्तुओं के लिए 30 प्रतिशत
	12.3	और 12.3 भवन निर्माण कार्य के लिए लागू		और अनुरक्षण कार्यों के लिए 50 प्रतिशत
		होगी		
İ	12.5	(i) विचलन सीमा जिसके बाद खंड 12.2	:	30%
		और 12.3 नींव के काम के लिए लागू		
		होगी (पृथ्वी के काम को छोड़कर)		
		(ii) मिट्टी के काम में वस्तुओं के लिए	:	100%
		विचलन सीमाः: और संबंधित वस्तुएँ		

#### **ਸ਼ਹੇ**ਫ਼ 16

घटाई गई दरें तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी : मुख्य अभियंता

#### खंड 18

ठेकेदार द्वारा स्थल पर परिनियोजित की जाने वाली अनिवार्य मशीनरी, उपकरण और संयंत्रों की सूचीः

1	सामग्री हैंडलिंग उपकरण	न्यूनतम 1 समूह
2	शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग मशीन	न्यूनतम 1
3	ग्राइंडिंग मशीन	न्यूनतम 2
4	बेधन यंत्र	न्यूनतम 2
5	गैस कटिंग सेट	न्यूनतम 1
6	मचान	न्यूनतम 1 समूह
7	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	आवश्यकता के अनुसार
8	सिविल कंस्ट्रक्शन इक्रिपमेंट	आवश्यकता के अनुसार

खंड 36(i)

## तकनीकी प्रतिनिधियों की आवश्यकता और वसूली दर

डिप्लोमा रखने वाले सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्तं सहायक इंजीनियरों को स्नातक इंजीनियरों के समकक्ष माना जाएगा।

क्र.सं	तकनीकी प्रतिनिधि के लिए न्यूनतम अर्हता	विषय	पदनाम (प्रधान तकनीकी प्रतिनिधि)	न्यूनतम अनुभव	नंबर	वह दर जिस पर खंड 36 (i) के प्रावधान को पूरा नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार से वसूली की जाएगी	
1	डिप्लोमा अभियंता	सिविल	पर्यवेक्षक	5	1	आंकड़ा ( <b>₹</b> ) रु 25000/- प्रति माह	<b>शब्द</b> पच्चीस हजार रुपये प्रति माह

खंड 42

- (I) (a) भापअ केंद्र द्वारा **मुद्रित दरों की भापअ केंद्र अनंतिम अनुसूची 2015** के आधार पर सीमेंट और बिटुमेन की सैद्धांतिक मात्रा निर्धारित करने के लिए अनुसूची/विवरण
- (II) सैद्धांतिक मात्राओं पर अनुमत परिवर्तन

(a) सीमेंट

अनुमानित लागत वाले कार्यों के लिए 5 लाख : 3% अधिक / कम

रुपये से अधिक नहीं

5 लाख रुपये से अधिक की अनुमानित लागत : 2% अधिक / कम

वाले कार्यों के लिए निविदा जारी की जाएगी।

(b) सभी कार्य बिटुमन : 2.5% **केवल अधिक एवं कम समय** 

(c) प्रत्येक व्यास, खंड और श्रेणी के लिए इस्पात : 2% अधिक / कम

सुदृढीकरण और संरचनात्मक इस्पात खंड

(d) सभी अन्य सामग्री : **शून्य** 

अनुमेय भिन्नताओं से अधिक के लिए वसूली दरें

	अनुमय । मन्नताओं से आधेक के । लेए वसूला दर							
क्र	<sup>ृ</sup> .सं.	मद का विवरण	उन आंकड़ों और शब्दों में दरें	जिन पर ठेकेदार से वसूली				
			की जाएगी (₹)					
			विभाग के मुद्दों में अनुमेय	अनुमेय भिन्नता से परे कम				
			भिन्नता से अधिक	उपयोग				
1		सीमेंट	₹14600/- प्रति МТ	₹14600/- प्रति MT				
2		संरचनात्मक अनुभाग	₹86000/-प्रति MT	₹86000/-प्रति МТ				

### भारत सरकारभा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र

नाभिकीय पुन:चक्रण वर्ग प्रौद्योगिकी विकास प्रभाग नार्थ साइट, ट्रांबे, मुंबई – 400 085

<u>अनुसूची - 'ए' –विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाली सामग्री की अनुसूची</u>

कार्य का नाम

: फिल्टर परीक्षण सुविधा आरएसएमएस, भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई इंजीनियरिंग हॉल. का संवर्धन कार्य।

निविदा सूचना संख्या

:BARC/TDD/ET/2/2025-2026 Dated 03/11/2025

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा अनुबंधित कार्य के निष्पादन के लिए उपलब्ध सामग्री और ठेकेदार को देय बिलों से इस तरह की आपूर्ति के लिए वसूली की दर को दर्शाने वाली अनुसूची।

क्र.सं •	विवरण	वह दर जिस प सामग्री से शुल्क	पर अनुबंधित लिया जाएगा	करने के लिए (निर्गम दर और	सुपुर्दगी का स्थान
		भंडारण शुल्क अलग से दिखाए जाएँगे)			
		अनुमानित मात्रा	इकाई	दर (₹)	
1.	जल प्रभार	यथा आवश्यक	-	कार्य मूल्य का	कार्य स्थल के पास एक बिंदु पर
2.	विद्युत	यथा आवश्यक	KWH	₹12	कार्य स्थल के पास एक बिंदु पर

### नोट :

- 1. निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या फर्म को यह देखना चाहिए कि निविदा प्रस्तुत करने से पहले प्रपत्र जारी करने पर अभियंता द्वारा उपरोक्त अनुसूची में दरें भरी गई हैं।
- 2. ऊपर निर्दिष्ट विभागीय भंडारों में विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का परिवहन (लोडिंग अनलोडिंग सिहत) ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा।
- 3. ठेकेदार अपनी लागत पर खुले बाजार से उन सभी सामग्रियों की खरीद करेगा, जो उपरोक्त अनुसूची में शामिल नहीं हैं।
- 4. ठेकेदार विद्युत केबल, जीआई पाइप, नली पाइप और जल भंडारण व्यवस्था आदि की आवश्यक लंबाई बनाएगा।
- 5. आपूर्ति की गई वस्तु के लिए, यदि ठेकेदार के प्रभारी और अभिरक्षा के दौरान खो जाता है या क्षितिग्रस्त हो जाता है, तो विभाग द्वारा अनुसूची ए से एफ के प्रारूप में निर्दिष्ट दर या + 1 प्रतिशत प्रहस्तन शुल्क की लागत, जो भी अधिक हो, पर वसूली की जाएगी। सामग्री की लागत पर पहुंचने के उद्देश्य से, जिस दर पर विभाग द्वारा वस्तुओं की खरीद की गई है या प्रचलित बाज़ार की दरें जो भी अधिक हो, उसे ध्यान में रखा जाएगा।

(ठेकेदार के हस्ताक्षर)

(अभियंता के हस्ताक्षर)